**संख्या-19/2019/1340/92-1-2019-1ब/2018**

प्रेषक,

मो0 इफतेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2019

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-01/ग्रा0अ0वि0/बजट अनु0/ पत्रा0सं0-522/2019-20, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा" हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 48994.69 लाख (रूपये चार अरब नवासी करोड़ चौरानवे लाख उनहत्तर हजार मात्र) एवं भारित मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7.50 लाख (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 49002.19 (रूपये चार अरब नब्बे करोड़ दो लाख उन्नीस हजार मात्र) निम्नवत विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

| क्र0 सं0 | मानक मद कोड सहित | स्वीकृत/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 01-वेतन | 36721.41 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 02-मजदूरी | 350.00 |
| 3 | 03-मंहगाई भत्ता | 5508.21 |
| 4 | 04-यात्रा व्यय | 60.00 |
| 5 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 20.00 |
| 6 | 06-अन्य भत्ते | 160.00 |
| 7 | 08-कार्यालय व्यय | 10.00 |
| 8 | 09-विद्युत देय | 90.00 |
| 9 | 10-जलकर/जल प्रभार | 25.00 |
| 10 | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 8.00 |
| 11 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 10.00 |
| 12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 10.00 |
| 13 | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 50.00 |
| 14 | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 3.00 |
| 15 | 17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व | 30.00 |
| 16 | 29-अनुरक्षण | 40.00 |
| 17 | 42-अन्य व्यय | 50.00 |
| 18 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 60.00 |
| 19 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 3.00 |
| 20 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 10.00 |
| 21 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 |
| 22 | 49-चिकित्सा व्यय | 300.00 |
| 23 | 51-वर्दी व्यय | 5.00 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 2209.07 |
| 25 | 55-मकान किराया भत्ता | 2900.00 |
| 26 | 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 350.00 |
| 27 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 7.00 |
| | **योग-** | **48994.69** |
| | भारित 42-अन्य व्यय | 7.50 |
| | **कुल योग-** | **49002.19** |

(रूपये चार अरब नब्बे करोड़ दो लाख उन्नीस हजार मात्र)

3- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में निहित निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा एवं मितव्ययिता से संबंधित मदों में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। जिन मदों में व्यय के पूर्व शासन के अनुमोदन की आवश्यकता हो उन पर बिना शासन के पूर्वानुमोदन के व्यय नहीं किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह के मासिक व्यय विवरण की सूचना नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय,उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ-साथ वित्त विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्धारित प्रारूप (बी0एम0-8) पर अनिवार्य/नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- धनराशिका विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इफतेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

**<u>संख्या-19/2019/1340(1)/92-1-2019, तददिनांक ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
हरिकेश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।